पत्र संख्या 08 /12/पी0एम0यू0–आर0डी0/10 (1)

प्रेषक,

विशेष कार्याधिकारी/लोक सूचना अधिकारी,
पी.एम.यू., ग्राम्य विकास,
एफ.आर.डी.सी. विंग, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर,
4 बी, सुभाष रोड़, देहरादून।

सेवा में,

श्री एस.एम. कण्डवाल,
अनु सचिव/ लोक सूचना अधिकारी (BM- IV),
5वीं मंजिल, एन.डी.सी.सी.– II बिल्डिंग,
जय सिंह रोड़, नई दिल्ली– 110001

ग्राम्य विकास विभाग(पी.एम.यू.) **देहरादून** **दिनांकः** 10 **अप्रैल, 2013**

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(3) के तहत सूचना उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

कृपया श्री शब्बन खान 'गुल' उत्तराखण्ड आज, शास्त्रीनगर, लेन नं0–2 एस0बी0आई0 एटीएम के ऊपर, हरिद्वार रोड, देहरादून का सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 3 अप्रैल, 2013 (छायाप्रति संलग्न) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत आपको इस अनुरोध से अन्तरित किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा अपने पत्र में उल्लिखित बिन्दु सं0 5 के सम्बन्ध में वांछित सूचना आवेदक को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही आवेदक को उपलब्ध करायी जा रही सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित कराने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

10/4/13

(एस.सी. शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी/लोक सूचना अधिकारी,
पी.एम.यू., ग्राम्य विकास।

पत्रांकः **/12/पी0एम0यू0–आर0डी0/10** **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री शब्बन खान 'गुल' उत्तराखण्ड आज, शास्त्रीनगर, लेन नं0–2 एस0बी0आई0 एटीएम के ऊपर, हरिद्वार रोड, देहरादून।

(एस.सी. शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी/लोक सूचना अधिकारी,
पी.एम.यू., ग्राम्य विकास।

BADP Cell

30/4/13

(5)

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग
संख्याः 37 /RTI/XI/13/70(20)12
देहरादूनः दिनांकः 05 अप्रैल, 2013

विषेश कार्याधिकारी/लोक सूचना अधिकारी,
परियोजना प्रबन्धन इकाई, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया श्री शब्बन खान 'गुल' उत्तराखण्ड आज, शास्त्रीनगर, लेन नं0–2 एस0बी0आई0 एटीएम के ऊपर, हरिद्वार रोड, देहरादून के आवेदन पत्र दिनांकः 03 अप्रैल, 2013 की मूल प्रंति संलग्न कर प्रकरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आपको इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध कर्ता द्वारा अपने पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या–01 से 06 के सम्बन्ध में अनुरोध कर्ता को अपने विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित बिन्दुओं पर नियमानुसार ससमय सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न यथोक्त–

(जे0एल0शर्मा)
अनुसचिव/लोक सूचना अधिकारी।

संख्याः /RTI/XI/13/70(20)12, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. लोक सूचना अधिकारी/उपायुक्त (प्रषासन)ग्राम्य विकास विभाग,पौड़ी को श्री शब्बन खान 'गुल' उत्तराखण्ड आज, शास्त्रीनगर, लेन नं0–2 एस0बी0आई0 एटीएम के ऊपर, हरिद्वार रोड, देहरादून के आवेदन पत्र दिनांकः 03 अप्रैल, 2013 की छाया प्रति इस आषय से प्रेशित कि बिन्दु संख्या–01 से 06 के सम्बन्ध यदि आपके कार्यालय से सम्बन्धित कोई सूचना हो तो अनुरोध कर्ता को नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रकरण धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जा रहा है।
2. वित्त अधिकारी, इरला चैक, उत्तराखण्ड शासन को उक्त वर्णित भारतीय पोस्टल आर्डर संख्याः 12ए 556263 मूल्य रू0 10.00 को मूल रूप में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया रसीद पत्रावली में चस्पा करने हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. श्री शब्बन खान 'गुल' उत्तराखण्ड आज, शास्त्रीनगर, लेन नं0–2 एस0बी0आई0 एटीएम के ऊपर, हरिद्वार रोड, देहरादून।

(जे0एल0शर्मा)
अनुसचिव/लोक सूचना अधिकारी।

37/RTI/XI/13

(3)

सेवा में,

श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी/प्रमुख सचिव
कार्यालय प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास
उत्तराखंड सचिवालय, देहरादून

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएं उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट एवं समय सीमा के भीतर सूचनाएं प्रदान करने का कष्ट करें। यदि सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो उचित स्थान पर अग्रसारित करें तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक वार्डर डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत विश्व बैंक/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा कितनी खर्च की गई। प्रत्येक की मदवार व वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त वित्तीय वर्षों में कितने जनपदों में कितनी धनराशि खर्च की गई। प्रत्येक की जनपदवार स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. उपरोक्त वित्तीय वर्षों में जिन कार्यदायी संस्थाओं ने जनपदों में कार्य किया, उन सभी का जनपदवार नाम व पते की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4. उपरोक्त वित्तीय वर्षों में किस जनपद में किन-किन कार्यदायी संस्थाओं ने कितनी धनराशि खर्च की तथा कराए गए कार्यों की जनपद व संस्थावार जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5. वार्डर डेवलपमेंट के कार्य व दिशा निर्देशों की स्पष्ट जानकारी राष्ट्रभाषा हिंदी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6. उपरोक्त वित्तीय वर्षों में प्रत्येक जनपद में क्या-क्या कार्य कराए गए। स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्त सूचनाएं अविलंब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न: रु. दस का भारतीय पोस्टल आर्डर नं. 12F 556263

शब्बन खान 'गुलं'
उत्तराखण्ड आज
शास्त्रीनगर
लेन नं. 2, एसबीआई
एटीएम के ऊपर
हरिद्वार रोड, देहरादून
मोबा - 9918997513

दिनांक - 3/4/2013

स्पीड पोस्ट

सं-11/2/2013/बीएडीपी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

सीमा प्रबंधन विभाग

बी.ए.डी.पी अनुभाग

*****

एन.डी.सी.सी.-II, जय सिंह रोड़, नई दिल्ली.

दिनांक 7th मई, 2013.

08 MAY 2013

सेवा में,

श्री शब्बन खान गुल,

उत्तराखण्ड आज,

शास्त्री नगर, लेन नं.-2, एस.बी.आई. ए.टी.एम के ऊपर,

हरिद्वार रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत श्री शब्बन खान गुल, उत्तराखण्ड द्वारा धन आंवटन के संबंध में जानकारी

महोदय,

मुझे आपके पत्र दिनांक 03.04.2013 जो कि लोक सूचना अधिकारी/प्रमुख सचिव, कार्यालय, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को संबोधित है, जिसमें आपने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) से संबंधित निम्नलिखित सूचना मांगी है:-

1) वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक बार्डर एरिया डेवलेपमेंट योजना के अंतर्गत विश्व बैंक/केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा कितनी खर्च की गई। प्रत्येक की मदवार व वर्षवार स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2) उपरोक्त वित्तीय वर्षों में कितने जनपदों में कितनी धनराशि खर्च की गई। प्रत्येक जनपदवार स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3) उपरोक्त वित्तीय वर्षो में जिन कार्यदायी संस्थाओं ने जनपदों में कार्य किया, उन सभी का जनपदवार नाम व पते की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4) उपरोक्त वित्तीय वर्षो में किस जनपद में किन-किन कार्यदायी संस्थाओं ने कितनी धनराशि खर्च की तथा कराए गए कार्यों की जनपद व संस्थावार जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5) बार्डर एरिया डेवलेपमेंट के कार्य व दिशा निर्देशों की स्पष्ट जानकारी राष्ट्रभाषा हिंदी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6) उपरोक्त वित्तीय वर्षो में प्रत्येक जनपद में क्या-क्या कार्य कराए गए। स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. इस विषय में यह कहना है कि उपरोक्त बिन्दुओं में से केवल बिन्दु संख्या 1 में बार्डर एरिया डेवलेपमेंट कार्यक्रम से संबंधित सूचना एवं संख्या 5 ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय से संबंधित हैं, जिनकी बिन्दुवार जानकारी सूचना आपको उपलब्ध कराई जा रही है।

➢ बिन्दु संख्या-1- <u>जनपदवार बार्डर एरिया डेवलेपमेंट कार्यक्रम धन आवंटन एवं निर्गम</u>

क्रम सं	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2011-12 (रु. लाख में)	वित्तीय वर्ष 2012-13 (रु. लाख में)
1.	चम्पावत	496.02	541.55
2.	चमोली	549.63	600.07
3.	पिथौरागढ़	1306.28	1426.16
4.	ऊधमसिंह नगर	546.48	596.63
5.	उत्तरकाशी	399.59	400.59
	योग	**3298.00**	**3565.00**

वित्तीय वर्ष 2013-14 में. रु.3565.00 लाख आवंटित किए गए है जिसको राज्य सरकार द्वारा जनपदवार आवंटित करना है।

बिन्दु संख्या-2- बार्डर एरिया डेवलेपमेंट के दिशा निर्देशों का हिंदी रुपान्तर संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(एस.एम. कण्डवाल)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23438146

प्रतिलिपि:-

1. श्री एस. घोष, अवर सचिव, आर.टी.आई सेल, गृह मंत्रालय।
2. श्री एस.सी. शर्मा, विशेष कार्याधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी, पी.एम.यू., ग्राम्य विकास, एफ.आर.डी.सी. विंग, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, 4 बी, सुभाष रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)- पत्र सं.08/12/पी.एम.यू-आर.डी./10 दिनांक 10 अप्रैल, 2013 के संदर्भ में.

गृह मंत्रालय

सीमा प्रबंधन विभाग

* * * *

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) : संशोधित दिशानिर्देश (फरवरी, 2009)

1. उद्देश्य :

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अन्तर-राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरवर्ती एवं अगम्य क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशिष्ट विकासात्मक जरूरतों को पूरा करना तथा केन्द्रीय/राज्य/बी ए डी पी/स्थानीय योजनाओं के अभिसरण एवं भागीदारी दृष्टिकोण के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सम्पूर्ण आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

2. कवरेज :

2.1 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूर्ण रूप से केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित कार्यक्रम ही बना रहेगा। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 17 राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल के 96 सीमावर्ती जिलों के तहत आने वाले अन्तर-राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित 362 सीमावर्ती ब्लॉक शामिल होंगे। राज्यों को निधियां (i) अन्तर-राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई (ii) सीमावर्ती ब्लॉकों की जनसंख्या तथा (iii) सीमावर्ती ब्लॉकों के क्षेत्र के आधार पर जारी की जाएंगी तथा इन सभी मानदंडों को समान वेटेज दी जाएगी। इसके अतिरिक्त दुर्गम क्षेत्र, संसाधनों की कमी, निर्माण की उच्च लागत इत्यादि के आधार पर पहाड़ी, रेगिस्तान तथा कच्छ की खाड़ी जैसे क्षेत्रों को 15% वेटेज दी जाएगी।

2.2 सीमावर्ती ब्लॉक एक ऐसी स्थानिक इकाई होगा जिसके भीतर राज्य सरकार केवल उन गांवों, जो अन्तर-राष्ट्रीय सीमा से 0-10 कि.मी. के भीतर स्थित है, हेतु बी ए डी पी निधियों के प्रयोग का प्रबंध करेगी। अन्तर-राष्ट्रीय सीमा के सबसे ज्यादा नजदीक स्थित गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन गांवों को आधारभूत अवसंरचना मुहैया करवाने के पश्चात अन्तर-राष्ट्रीय सीमा के 0-15 कि.मी. तथा 0-20 कि.मी. के दायरे में स्थित गांवों के अगले सैट को इस कार्य के लिए चुना जाएगा। यदि ब्लॉक का प्रथम गांव अन्तर-राष्ट्रीय सीमा से दूर किसी स्थान पर स्थित है तो प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए ब्लॉक में प्रथम गांव/बस्ती को "0" कि.मी. दूरी गांव के रूप में माना जाएगा।

3. <u>निर्देशक सिद्धांत</u> :

3.1 बी ए डी पी निधियों का प्रयोग साधारणतया महत्वपूर्ण कमियों तथा सीमावर्ती जनसंख्या की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। बी ए डी पी योजनाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं/स्वायत्त परिषदों/अन्य स्थानीय निकायों/परिषदों के माध्यम से भागीदारी एवं विकेन्द्रीकृत आधार पर किया जाना चाहिए।

3.2 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर ही एक नोडल विभाग/प्रकोष्ठ के सृजन/नामांकन पर विचार कर सकती है। राज्य में बी ए डी पी संबंधी कार्य को देखने वाला नोडल विभाग जैसे ऊर्जा, ग्रामीण विकास, विद्युत, सड़क एवं भवन, जलापूर्ति, सामाजिक कल्याण, लोक संवितरण, नागरिक आपूर्ति इत्यादि जैसे राज्य के प्रमुख विभागों के साथ अलग से बैठकें करेगा ताकि संबंधित राज्य/केन्द्रीय योजनाओं का अभिज्ञात सीमावर्ती ब्लॉकों में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। सीमावर्ती ब्लॉकों में केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजनाओं/भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के तहत निधियों का यथासंभव अधिकतम सीमा तक उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं/भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के तहत निधियां प्राप्त करने तथा दिशानिर्देशों में छूट, यदि कोई हो, को प्राप्त करने के लिए राज्य के संबंधित विभाग

भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त प्रस्ताव भेज सकते हैं जिसकी एक प्रति सूचनार्थ सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को भी भेजी जानी चाहिए।

3.3 आधारभूत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना में कमियों का मूल्यांकन करने के लिए सीमावर्ती गांवों में प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। ग्राम-वार योजना को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिसमें परियोजनाओं को राज्य योजना स्कीम/केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजनाओं (सी एस एस)/भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं तथा बी ए डी पी के तहत वित्तपोषण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसी योजना द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) की ओर अभिसरण भी सुनिश्चित करें।

4. <u>योजनाओं का चयन</u> :

4.1 बी ए डी पी के तहत शुरू की जाने वाली योजनाओं की एक निदर्शी सूची <u>अनुलग्नक-I</u> पर दी गई है। बी ए डी पी के तहत जो योजनाएं अनुमत नहीं हैं उनकी सूची <u>अनुलग्नक-II</u> पर दी गई है। संबंधित सीमा रक्षक बलों द्वारा भी योजनाओं का सुझाव दिया जा सकता है तथा इन योजनाओं पर व्यय राज्य को किए गए वार्षिक आबंटन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। सुरक्षा संबंधी अनुमत एवं गैर अनुमत योजनाओं की सूची <u>अनुलग्नक-III</u> पर दी गई है।

4.2 राज्य सरकार बी ए डी पी के तहत सृजित सम्पत्तियों के रखरखाव के लिए इस शर्त के अध्यधीन राज्य को किए गए आबंटन के अधिकतम 15% तक का प्रावधान कर सकती हैं कि ऐसा व्यय सम्पत्ति के संबंध में पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के उपरांत ही किया जा सकता है। राज्य सरकारें ब्लॉक स्तर पर मॉनीटरिंग, स्टाफ के प्रशिक्षण तथा बी ए डी पी के मूल्यांकन, संदर्शी योजना, यदि कोई हो, को तैयार करने, सर्वेक्षण तथा संभार तंत्र संबंधी सहायता (वाहनों की खरीद को छोड़कर), मीडिया प्रचार इत्यादि के लिए 40 लाख की अधिकतम सीमा के अध्यधीन राज्य को किए गए आबंटन का 1.5% (केवल डेढ प्रतिशत) हिस्सा रिजर्व रख सकती हैं। बी ए डी पी के तहत विभिन्न परियोजनाओं को संस्तुत करते समय वन, पर्यावरण एवं अन्य

स्थानीय क्लीयरेंस, भूमि की उपलब्धता इत्यादि जैसी औपचारिकताओं, यदि कोई हों, को पूरा करने की प्रक्रिया का पहले से ही नियोजन किया जाना चाहिए।

5. अधिकार प्राप्त समिति :

गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में गठित एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा बी ए डी पी के दिशानिर्देश, वह भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर बी ए डी पी को क्रियान्वित किया जाना है, निधियों का आबंटन, योजना को निष्पादित किए जाने संबंधी औपचारिकताओं इत्यादि जैसे नीतिगत मामलों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अधिकार प्राप्त समिति की रचना एवं कार्य अनुलग्नक-IV (क) पर दिए गए हैं।

6. राज्य स्तरीय जांच समिति :

6.1 अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिए गए सामान्य/विशिष्ट दिशानिर्देशों के अध्यधीन प्रत्येक राज्य लिए योजनाओं को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। राज्य स्तरीय जांच समिति (एस एल एस सी) की बनावट एवं कार्य अनुलग्नक-IVख पर दिए गए हैं। राज्यों के साथ समन्वय के लिए संबंधित सीमा रक्षक बल राज्य-वार नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे तथा ऐसे नोडल अधिकारियों को राज्य स्तरीय जांच समिति की बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाएगा। राज्य सरकार राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा यथा अनुमोदित बी ए डी पी की वार्षिक कार्य योजना गृह मंत्रालय, सीमा प्रबंधन विभाग, भारत सरकार को प्रति वर्ष अधिकतम मई माह तक अनुलग्नक-V, अनुलग्नक-V (क) तथा अनुलग्नक-V(ख) में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत करेगी।

7. कार्यक्रम के निष्पादन में लचीलापन:

7.1 योजनाओं को निष्पादित करने के लिए पी आर आई के अतिरिक्त स्वायत्त परिषदों; अन्य स्थानीय निकायों तथा ग्राम/प्राधिकारियों/परिषदों, स्थानीय समुदायों, स्थानीय गैर सरकारी संगठन/स्वयं सहायता समूह जिन्हें विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हो

रही है, को शामिल किया जाएगा।

7.2 जब राज्य सरकार एजेंसियों के पास मानवशक्ति की कमी हो तो संविदा आधारित कार्यों को सौंपने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने, सेवाओं को आउटसोर्सिंग से करवाने पर विचार किया जा सकता है। राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा ऐसे उपाय किए जा सकते हैं तथा इनकी सूचना गृह मंत्रालय को दी जानी चाहिए। राज्य सरकार जहां कहीं संभव हो वहां पर भारत सरकार तथा सेवाओं में साझा स्टेक रखने वाले समुदाय के बीच भागीदारी पर विचार कर सकती है, जहां तक संभव हो सामाजिक अवसंरचना की लागत के 10% से 15% तक के हिस्से में समुदायों को शामिल किया जा सकता है। अधिकतम 5 लाख रु. की परियोजनाओं को केवल ग्राम समितियों/पंचायतों इत्यादि जैसे स्थानीय निकायों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। तथापि, प्रचलित स्थानीय/राज्य वित्तीय नियम ही बी ए डी पी के क्रियान्वयन के लिए लागू रहेंगे।

8. <u>निधियों का प्रवाह</u> :

8.1 वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले, गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग आगामी वर्ष के दौरान बी ए डी पी के तहत राज्यों को आबंटित निधियों की मात्रा के बारे में सूचित करेगा। राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, जिसमें योजनाएं शामिल होंगी, को निधियां जारी किए जाने के लिए <u>अनुलग्नक-V</u> में दिए गए प्रपत्र में सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया जाना होता है।

8.2 राज्यों को दो किस्तों में निधियां जारी की जाएंगी। व्यय की पुष्टि तथा योजनाओं की अनुमोदित सूची प्राप्त हो जाने के पश्चात तदनन्तर वर्षों के लिए वित्तपोषण किया जाएगा। राज्य आबंटन के 90% की प्रथम किस्त राज्यों को तभी जारी की जाएगी जब उनसे पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों के अलावा विगत वर्ष के दौरान जारी निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र हो गए हों। यदि विगत वर्षों के दौरान जारी राशि के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र मुहैया करवाने में कोई कमी हो तो उसे प्रथम किस्त जारी करते समय घटा दिया जाएगा। राज्य आबंटन के शेष 10% की दूसरी किस्त राज्यों को पूर्ववर्ती वर्ष के माह के दौरान जारी राशि के न्यूनतम 50% की सीमा तक राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र तथा सितम्बर में समाप्त होने वाली तिमाही (अर्थात

वित्तीय वर्ष की द्वितीय तिमाही) तक के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भौतिक एवं वित्तीय) मुहैया करवाए जाने के पश्चात ही जारी की जाएगी।

8.3 विगत वर्षों से संबंधित लंबित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किए जाने तक उपयोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रथम किस्त की निर्मुक्ति में की गई कटौती, यदि कोई हो, की भरपाई द्वितीय किस्त को जारी किए जाने के समय की जाएगी। राज्य सरकारों के लिए बी ए डी पी हेतु पृथक बजट रखना अपेक्षित है। भारत सरकार से निधियां प्राप्त होते ही राज्य सरकारों द्वारा ये निधियां वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार तत्काल कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी कर दी जानी चाहिए; किसी भी स्तर पर निधियों को रोक कर रखना प्रतिबंधित है।

9. <u>मॉनीटरिंग एवं पुनरीक्षा</u> :

9.1 बी ए डी पी योजनाओं/परियोजनाओं की जांच के लिए राज्य सरकारों द्वारा एक संस्थागत तंत्र विकसित किया जाना चाहिए तथा इस संबंधी रिपोर्ट सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रत्येक सीमावर्ती ब्लॉक राज्य सरकार के उच्च रैंक के एक नोडल अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए जो नियमित रूप से ब्लॉक का दौरा करे तथा बी ए डी पी योजनाओं का उत्तरदायित्व संभाल सके। गृह मंत्रालय को एक तिमाही रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए जिसमें आयोजित किए गए निरीक्षणों को इंगित किया जाना चाहिए तथा साथ ही निरीक्षण अधिकारियों की रिपोर्टों में इंगित की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों/कमियों को उजागर किया जाना चाहिए। कार्य की गुणवत्ता तथा अन्य संगत मुद्दों के संबंध में निष्पक्ष फीडबैक के लिए राज्यों द्वारा थर्ड पार्टी जांच भी करवाई जानी चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा उचित 'सामाजिक लेखापरीक्षा प्रणाली' की भी स्थापना की जानी चाहिए।

9.2 तिमाही की समाप्ति के अधिकतम 15वें दिन <u>अनुलग्नक-VI</u> में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सीमा प्रबंधन विभाग को योजना-वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिएं। जैसा कि <u>अनुलग्नक-VII</u> में दिया गया है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर सामान्य वित्तीय नियमों के निर्धारित प्रपत्र (जी एफ आर-19ए) में वर्ष-वार समेकित उपयोग प्रमाण-पत्र भेजे जाने चाहिएं। परियोजना स्थलों पर एक डिस्पले बोर्ड लगाया जा

सकता है जिसमें यह इंगित किया जाए कि भारत सरकार की बी ए डी पी के तहत कार्य को पूरा किया जा रहा है/पूरा कर लिया गया है।

9.3 राज्य सरकारों द्वारा सीमावर्ती गांवों/छोटी बस्तियों में विश्लेषणात्मक उद्देश्यों इत्यादि के लिए बी ए डी पी के तहत सृजित सम्पत्तियों की सूची तैयार की जानी चाहिए। राज्यों द्वारा क्रियान्वित महत्वपूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं (फोटोग्राफ सहित) संबंधी प्रशंसात्मक विवरण सहित ऐसे विवरणों के विषय में सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को सूचित किया जाना चाहिए। गांवों को मूल इकाई मानते हुए गृह मंत्रालय में एक उचित "प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस)" विकसित की जाएगी। राज्यों द्वारा नियमित रूप से अद्यतन किए जाने के लिए एम आई एस को वेब-एनेबल्ड बनाया जाएगा।

* * * * *

अनुलग्नक -I

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमेय योजनाओं/परियोजनाओं की उदाहरणस्वरूप सूची

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) निधियों का उपयोग सामान्यतया विभिन्न केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के अंतर्गत निधियों का प्रयोग करने के बाद प्रमुख कमियों को दूर करने तथा सीमावर्ती जनसंख्या की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। बुनियादी भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना में कमी का मूल्यांकन करने के लिए सीमावर्ती गावों में बेसलाइन सर्वेक्षण किया जाएगा तथा बी ए डी पी के साथ विभिन्न केन्द्रीय/राज्य योजनाओं की समाभिरूपता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

बी ए डी पी के अंतर्गत शुरू की जा सकने वाली विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं का उदाहरण नीचे दिया गया है:

1) शिक्षा:

(i) प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन (अतिरिक्त कमरों सहित)

(ii) क्रीडा मैदानों का विकास

(iii) छात्रावासों/शयनागारों का निर्माण

(iv) सार्वजनिक पुस्तकालय एवं पठन कक्ष

2) स्वास्थ्य:

(i) भवन अवसंरचना (पी एच सी/सी एच सी/एस एच सी)

(ii) बुनियादी/प्रारंभिक प्रकार के चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान। एक्स-रे, ई सी जी, मशीनों, दंत चिकित्सा क्लिनिक, विकृति विज्ञानीय प्रयोगशालाओं आदि के उपकरण की भी खरीद की जा सकती है।

(iii) सरकार/पंचायती राज संस्थानों द्वारा टेलीमेडिसन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सचल औषधालयों/एम्बूलेंसों की स्थापना।

3. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

(i) पशुपालन एवं डेयरी पालन

(ii) मत्स्यपालन

(iii) रेशम का कीड़ा पालन

(iv) कुक्कट पालन/मत्स्य पालन/सुआर/बकरा/भेड़ पालन

(v) वानिकी कृषि, उद्यान कृषि/पुष्प कृषि

(vi) सार्वजनिक जल निकासी सुविधाएं

(vii) सिचाई बांधों या उत्थापन सिंचाई या सुविधाओं का निर्माण (छोटे-मोटे सिंचाई निर्माण कार्य सहित)।

(viii) जल संरक्षण कार्यक्रम

(ix) मृदा संरक्षण - मृदा क्षरण का बचाव- बाढ़ से बचाव

(x) सामाजिक वानिकी, जे एफ एम, उद्यान, सरकारी एवं सामुदायिक भूमियों या चरागाह सहित अन्य अभ्यर्पित भूमियों में उद्यान

(xi) उन्नज बीजों, उर्वरकों एवं प्रौयोगिकी का उपयोग

(xii) पशुपालन सहायता केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा जनन केन्द

(xiii) आर्थिकी के स्तर- पिछड़े-अगड़े एकीकरण को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र विशिष्ट नीति

4. अवसंरचना

(i) संपर्क सडकों (पुलियों एवं पुलों सहित) का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण

(ii) स्थानीय इन्पुटों अर्थात हथकरघा, हस्तशिल्प, फर्नीचर तैयार करने, छोटी यूनिटों, लोहार के कार्य आदि वाले लघु स्तरीय उद्योग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

(iii) मलिन बस्ती क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निवास क्षेत्रों में तथा पर्यटन केन्द्रों, बस स्टैंडों आदि पर नागरिक सुविधाओं जैसे कि

विद्युत, जल, पाथवे, रोपवे, पैदल पुल, हैंगिंग पुल, सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था।

(iv) सीमावर्ती क्षेत्रों में साप्ताहिक हाटों/बाजारों तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों आदि के लिए अवसंरचना का विकास।

(v) मान्यताप्राप्त जिला या राज्य खेल संघों के लिए तथा सांस्कृतिक एवं खेलकूद क्रियाकलापों के लिए या अस्पतालों के लिए भवनों का निर्माण (जिमनास्टिक केन्द्रों, खेल संघ, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों आदि में बहु व्यायाम व्यवस्था)

(vi) दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में लगे कार्मिकों के लिए मकानों का निर्माण

(vii) पर्यटन/खेल/साहसिक खेल योजना-सीमावर्ती खंड में जहां कहीं व्यवहार्य हो, पर्यटन एवं खेल जैसे कि चट्टानों पर चढ़ने के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना का सृजन, पर्वतारोहण, रीवर राफ्टिंग, वन में लंबी यात्रा (ट्रैकिंग) स्कीयन एवं सफारी (कार/बाईक रेस, ऊंट सफारी, चाक सवारी, रन ऑफ कच्छ में नौकायन

(viii) नए पर्यटक केन्द्रों का सृजन।

(ix) छोटे खुले स्टेडियम/इंडोर स्टेडियम/सभागारों का निर्माण।

(x) नवीन एवं नवीकरण विद्युत-सामुदायिक उपयोग एवं संबंधित क्रियाकलापों के लिए बायो गैस/बायोमास गैसीफिकेशन, सौर एवं पवन ऊर्जा एवं लघु पन बिजली परियोजनाएं-प्रणालियां/युक्तियां।

5. <u>सामाजिक क्षेत्र:</u>

(i) सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण

(ii) आंगनवाड़ी का निर्माण

(iii) ग्रामीण स्वच्छता खंड

(iv) सांस्कृतिक केंद्र/सामुदायिक भवन

(v) वृद्ध व्यक्तियों या विकलांगों के लिए साझा आश्रयों का निर्माण

(vi) स्व-रोजगार के लिए युवकों के व्यावसायिक अध्ययन एवं प्रशिक्षण तथा कारीगरों एवं बुनकरों के कौशल उन्नयन के जरिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

6. <u>विविध</u>

(i) सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉडल गांवों का विकास

(ii) ई-चौपाल/कृषि दुकान/मोबाइल मीडिया वैन/बाजार

(iii) जहां कहीं व्यवहार्य हो क्लस्टर संपर्क की व्यवस्था।

ऐसे कार्यों की सूची जो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमेय नहीं है:

****

मूर्त परिसंपतियों के सृजन को बी ए डी पी के अंतर्गत प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छोटी योजनाओं, जो विशिष्ट गांवों/व्यक्ति विशेषों के लिए सीधे लाभ की प्रकृति के हैं, पर राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी विकास पहलों के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।

निम्नलिखित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य बी ए डी पी के अंतर्गत अनुमेय नहीं हैं।

1. शिक्षा:

   (i) स्कूली पोशाकों/पुस्तकों की खरीद

   (ii) वयस्क शिक्षा

   (iii) पुस्तक/जर्नल

   (iv) दूरदर्शन/डिश एंटीना

2) स्वास्थ्य:

   (i) स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम

   (ii) नेत्र शिविर

   (iii) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

   (iv) रक्त बैंक

   (v) मलेरिया, फायलेरिया, कुष्ठ रोग, एड्स आदि का नियंत्रण।

   (vi) धात्रियों (मिडवाइफ) के लिए प्राथमिक उपचार किट

3. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

   (i) गांवों, शहरों एवं नगरों में तालाबों के गाद की सफाई

सीमा रक्षा बलों द्वारा बी ए डी पी के अंतर्गत किए जाने वाली अनुमेय एवं अननुमेय कार्यमदों की सूची:

****

विकास संबंधी प्रकृति की निम्नलिखित योजनाओं को सीमा रक्षा बलों द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुशंसित/कार्यान्वित किया जा सकता है।

(क) बी ओ पी के लिए संपर्क सड़कों का निर्माण

(ख) पेय जलापूर्ति/विद्युत उत्पादन (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा) आदि के संबंध में अवसंरचना गठित करने संबंधी कोई अन्य कार्य

तथापि, राज्य स्तरीय जांच समिति का अनुमोदन ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है तथा यह राज्य वार्षिक कार्य योजना का भाग होगा। सीमा रक्षा बलों तथा सशस्त्र बलों द्वारा बी ए डी पी के अंतर्गत अनुशंसित/कार्यान्वित या ऐसी योजनाएं संबंधित राज्य/केंद्रीय सरकार अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले हैं।

बी ए डी पी के अंतर्गत सीमा रक्षा बलों द्वारा कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य/क्रियाकलाप अनुमेय नहीं हैं:

(क) किसी भी प्रकार का नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम जिसके लिए गृह मंत्रालय या राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी की जाती हैं-जैसे कि दवाओं की खरीद, नेत्र शिविर आदि।

(ख) वाहनों/नाइट विजन डिवायसों/अन्य उपकरणों आदि की खरीद

4. अवसंरचना

(i) व्यक्ति विशेष लाभ की कोई योजना (जैसेकि डेरा एवं धानी आदि तक सड़कें)

(ii) कब्रगाहों/श्मशान घाटों में चहार दीवारी तथा दाहकर्म शेडों का निर्माण

(iii) कूलों/नालों/खालों की सफाई

(iv) तालाबों की चहार दीवारी/जल रोकने के लिए दीवार

(v) स्थानीय निकायों, पटवरखाना, पंचायत घर, बी डी ओ, डी सी के कार्यालयों के भवनों तथा अधिकारियों (शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में लगे अधिकारी को छोड़कर) के लिए आवासों आदि का निर्माण।

(vi) नाला/गटर

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) संबंधी अधिकार प्राप्त समिति

सचिव, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की अधिकारप्राप्त समिति निम्नानुसार गठित की गई है:

गठन:

1.	सचिव (सीमा प्रबंधन), सीमा प्रबंधन विभाग	-	अध्यक्ष
2.	सचिव, व्यय विभाग	-	सदस्य
3.	सलाहकार (एम एल पी), योजना आयोग	-	सदस्य
4.	अपर सचिव (सीमा प्रबंधन), सीमा प्रबंधन विभाग	-	सदस्य
5.	अपर विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	-	सदस्य
6-22	17 बी ए डी पी राज्यों के मुख्य सचिव या उनके नामिती (उनके संबंधित राज्यों में भारत सरकार में संयक्त सचिव रैंक के नीचे के नहीं)	-	सदस्य
23.	संयुक्त सचिव (के), गृह मंत्रालय	-	सदस्य
24.	संयुक्त सचिव (एन ई)	-	सदस्य
25.	संयुक्त सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्रालय	-	सदस्य
26-29	बी एस एफ, आई टी बी पी, एस एस बी एवं असम राइफल्स में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि (महानिरीक्षक रैंक से कम नहीं)	-	विशेष आमंत्रित सदस्य

30. संयुक्त सचिव (बी एम), गृह मंत्रालय - सदस्य सचिव

अधिकारप्राप्त समिति (ई सी) बी ए डी पी के कार्यक्षेत्र, दिशानिर्देशों को ऐसे अंतिम रूप देने/उनके आशोधन, संबंधित राज्यों में भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण जिसके भीतर बी ए डी पी कार्यान्वित किया जाएगा, कार्यान्वयन के तौर तरीके, राज्यों को निधियों के आबंटन के लिए किसी फार्मूले के बारे में निर्णय लेने आदि से संबंधित नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार होगी। समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार होगी तथा वह ऐसे सदस्यों को सहयोजित कर सकती है जिनको विचार-विमर्श/निर्णय लेने के कार्य को सुगम बनाने के लिए आवश्यक समझा जाए। स्थिति की आवश्यकताओं/वैकल्पिक कठिनाइयों में अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष बी ए डी पी दिशा निर्देशों में राज्य/क्षेत्र विशिष्ट छूट देने के लिए अधिकृत है।

अनुलग्नक-IV (ख)

बी ए डी पी संबंधी राज्य स्तरीय जांच (स्क्रिनिंग) समिति :

राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बी ए डी पी संबंधी एक राज्य स्तरीय जांच समिति निम्नानुसार होगी:-

गठन:

1.	मुख्य सचिव	-	अध्यक्ष
2.	राज्य का योजना विभाग	-	सदस्य
3.	सचिव, राज्य का गृह विभाग	-	सदस्य
4.	सचिव, राज्य का वित्त विभाग	-	सदस्य
5.	सचिव, राज्य का ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य
6.	सीमावर्ती खंडों/जिलों में विभिन्न केन्द्रीय/राज्य स्कीमों को कार्यान्वित कर रहे राज्य के संबंधित विभागों के संबंधित सचिव	-	सदस्य
7.	भारत सरकार, गृह मंत्रालय (सीमा प्रबंधन विभाग) का प्रतिनिधि	-	सदस्य
8.	भारत के योजना आयोग का प्रतिनिधि	-	सदस्य
9.	भारत सरकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में)	-	सदस्य

10.	राज्य के सीमावर्ती जिलों के जिला मजिस्ट्रेट	-	सदस्य
11.	राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा रक्षा बल (बलों) के नोडल अधिकारी	-	सदस्य
12.	सचिव, राज्य में बी ए डी पी का नोडल विभाग	-	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय जांच समिति बी ए डी पी के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु योजना की सूची को अंतिम रूप देंगे और सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने के लिए वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करने के लिए अधिदेशित है। राज्य स्तरीय जांच समिति का अध्यक्ष (अर्थात मुख्य सचिव) ऐसे सदस्यों को जांच समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकते हैं जिनको राज्य स्तरीय जांच समिति में विचार-विमर्श/निर्णय लेने के कार्य को सुगम बनाने के लिए आवश्यक समझा जाए।

राज्य स्तरीय जांच समिति (एस एल एस सी) की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। पहली बैठक आगामी वर्ष के लिए दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित, ग्राम समिति, पंचायत/खंड स्तरीय समिति आदि द्वारा अनुशंसित योजनाओं को अंतिम रूप देने एवं अनुमोदित करने के लिए फरवरी/मार्च में आयोजित की जाएगी। वार्षिक कार्य योजना को पहली बैठक में अंतिम रूप दे दिया जाना तथा मध्य अप्रैल तक सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

वार्षिक कार्य योजना में यथा अनुशंसित, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी वर्ष विशेष के लिए योजनाओं/परियोजनाओं को एक बार अनुमोदित कर दिए जाने के बाद सामान्यता परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तथापि, प्रचालन संबंधी कठिनाइयों/विशेष परिस्थितियों के कारण राज्यों (अर्थात मुख्य सचिव) द्वारा अनुशंसित किए जाने के बाद ही योजना में किसी परिवर्तन पर सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा।

एस एल एस सी की दूसरी बैठक बी ए डी पी के अंतर्गत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने, उपयोग प्रमाण-पत्र एवं तिमाही प्रगति रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने के लिए अधिमान रूप से नवंबर/दिसम्बर में आयोजित की जा सकती है।

किन्हीं औपचारिकताओं, यदि कोई हों, अर्थात वन पर्यावरण एवं अन्य स्थानीय स्वीकृतियों, भूमि की उपलब्धता आदि को पूरा करने की प्रक्रिया की योजना बी ए डी पी के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की अनुशंसा करने के समय ही अग्रिम रूप से बना ली जानी चाहिए। एस एल एस सी को वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए इन पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए ई पी)

वर्ष_____के लिए सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित वार्षिक कार्य योजना

ख. राज्य का नाम:_____

ग. एस एल एस सी की बैठक की तारीख:_____

सं.	सेक्टर और योजनाओं/परियोजनाओं का नाम	स्थान			वर्तमान वर्ष के लिए योजना का अनुमोदित परिव्यय	योजना का पूरा किए जाने का लक्ष्य	क्या नई योजना है	क्या योजना पिछले वर्षों से चल रही है		वर्तमान वर्ष में अपेक्षित निधियां	टिप्पणी
		जिला	ब्लॉक	गांव				प्रारंभ होने का वर्ष	पहले उपयोग की जा चुकी निधियां (वर्ष वार)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	क. शिक्षा										
1.	प्राथमिक/स्कूल भवन (अतिरिक्त कक्ष)										
2.	मध्य स्कूल भवन (अतिरिक्त कक्ष)										
3.	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन (अतिरिक्त कक्ष)										
4.	शिक्षकों तथा सम्बद्ध स्टाफ के लिए										

	आवास का निर्माण										
5.	छात्रावासों/डोरमेट्री का निर्माण										
6.	खेल मैदानों का विकास										
7.	सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय										
	ख. स्वास्थ्य										
8.	बेसिक/एलीमेंट्री प्रकार के मेडिकल उपकरणों का प्रावधान										
9.	डेंटल क्लीनिक के लिए उपकरण का प्रावधान										
10.	पी एच सी/सी एच सी के लिए भवन संबंधी अवसंरचना										
11.	टेलीमेडिसीन सहित सरकार/पंचायत राज द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल डिस्पेंसरियों की स्थापना										
12.	पशुपालन										
13.	मछलीपालन										
14.	रेशम										
15.	कुक्कट पालन/मत्स्यपालन/सुअर/बेरी/भेडपालन										
16.	फार्म वानिकी, बागवानी/पुष्प-कृषि										
17.	गांवों, नगरों और शहरों में तालाबों से गाद हटाना										
18.	सार्वजनिक जल-निकासी सुविधाएं										
19.	सिंचाई तटबंध या लिफ्ट ऐरीगेशन या जल-सतह ऊंची करने की सुविधाएं										
20.	लघु सिंचाई संबंधी कार्य										
21.	मृदा संरक्षण-अपरदन की सुरक्षा-										

30.	साप्ताहिक हाटों/आजारों तथा सीमावर्ती क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के लिए अवसंरचना का विकास										
31.	मान्यताप्राप्त जिला या राज्य खेलकूद एसोसिएशनों तथा सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों या अस्पतालों के लिए भवनों का निर्माण (जिमनास्टिक केन्द्रों, खेलकूद एसोसिएशनों, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों आदि में मल्टी-जिम सुविधाओं का प्रावधान)										
32.	दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्र में शिक्षा-क्षेत्र और स्वास्थ्य-क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों के लिए मकानों का निर्माण										
33.	पर्यटन/खेलकूद/एडवेंचर स्पोर्टस योजना- जहां कहीं व्यवहार्य हो सीमावर्ती ब्लॉकों में पर्यटन और खेलकूद के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना का निर्माण-जैसे रॉक क्लाइबिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, फॉरेस्ट ट्रैकिंग, स्कीईंग और सफारी (कच्छ के रण में कार/बाइक दौड, ऊंट सफारी, याक की सवारी, नौकायन)										
34.	नये पर्यटन स्थलों का निर्माण										
35.	मिनी ओपन स्टेडियम/इंडोर स्टेडियम/सभागारों का निर्माण										
36.	नवी एवं नवीकरणीय विद्युत बायो										

	बाढ़ सुरक्षा										
22	जल संरक्षण कार्यक्रम										
23	सरकारी और सामुदायिक भूमि या चारागाह सहित लौटाई गई अन्य भूमि में सामाजिक वानिकी, जे एम एम, पार्क, उद्यान										
24	बेहतर बीज, उर्वरक और बेहतर प्रौद्योगिकी का उपयोग										
25	पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और पशु-प्रजनन केन्द्र										
26	पिछले अगड़े एकीकरण के पैमाने पर अर्थव्यवस्था को देखते हुए क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण										
	घ. अवसंरचना										
27	संपर्क सड़कों, लिंक रोडों (पुलियाओं और पुलों सहित) का निर्माण और सुदृढीकरण										
28	उद्योग-हस्तकरघा, लघु यूनिटें, हस्तशिल्प, फर्नीचर निर्माण, लोहार संबंधी कार्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग										
29	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी वाले मलिन बस्तियों के क्षेत्रों तथा पर्यटक केन्द्रों, बस स्टैंडों आदि में बिजली, जल, मार्ग, रज्जुमार्ग, पैदल-पार पथ, हैंगिंग ब्रीज, सार्वजनिक शौचालयों आदि जैसी जन सुविधाओं का प्रावधान										

अनुलग्नक-V(क)

गृह मंत्रालय

सीमा प्रबंधन प्रभाग

सीमावती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

****

वर्ष ________ के लिए वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम ______________________________

राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी (एस एल एस सी) की बैठक की तारीख________________

जिले का नाम________________

ब्लॉक का नाम ________________

सीमावर्ती ब्लॉक में उपयोग की जाने वाली निधियों का योजना-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	योजना का नाम	ब्लॉक में उपयोग की जाने वाली धनराशि	टिप्पणी
1.	**राज्य संसाधनों में से** (कृपया क्षेत्र विनिर्दिष्ट करें जिनमें वर्ष के दौरान निधियों का उपयोग किया जाएगा।)		
	क. राज्य-योजना		
	ख. जिला-योजना		
2.	**भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना** (कृपया वर्ष के दौरान ब्लॉक में उपयोग की जाने वाली योजना-वार धनराशि विनिर्दिष्ट करें)		
	क) भारत निर्माण		
	i) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना		
	ii) इंदिरा विकास योजना		
	iii) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति		
	iv) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम		
	v) ग्रामीण टेलीफोनी		
	vi) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना		
	कुल भारत निर्माण		
	ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना		
	ग. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण अभियान		
	घ) कुल स्वच्छता अभियान		

●	गैस/बॉयोमॉस गैसीफिकेशन, सामुदायिक उपयोग और संबंधित गतिविधियों के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा।										
	ङ सामाजिक क्षेत्र										
37.	सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण										
38.	ग्रामीण स्वच्छता ब्लॉक										
39.	सांस्कृतिक केन्द्र/सामुदायिक हॉल										
40.	वृद्ध या विकलांग व्यक्तियों के लिए साझा आश्रयों स्थलों का निर्माण										
41.	स्व-रोजगार हेतु युवाओं के लिए व्यावसायिक अद्यतन और प्रशिक्षण तथा कामगारों और बुनकरों के कौशल-स्तरोन्नयन के माध्यम से क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रम										
	विविध										
42.	सीमावर्ती क्षेत्रों में आदर्श गांवों का विकास										
43.	ई-चौपाल/एग्रीशॉप/मोबाइल मीडिया वैन/मार्केट यार्ड										
44.	जहां कहीं व्यवहार्य हो कलस्टर दृष्टिकोण										

	ड.) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन		
	च) सर्व-शिक्षा अभियान		
	छ) मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम		
	ज) एकीकृत बाल विकास योजना		
	झ) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि		
3.	अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं जैसे खेलकूद और पर्यटन (कृपया योजना का नाम तथा उपयोग की जाने वाली धनराशि विनिर्दिष्ट करें)		
4.	कोई अन्य योजना स्रोत (जैसे ऋण आदि)		
5.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम)		

गृह मंत्रालय

सीमा प्रबंधन प्रभाग

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

****

वर्ष _____ के लिए वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम _____

राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी (एस एल एस सी) की बैठक की तारीख _____

जिले का नाम _____

ब्लॉक का नाम _____

वार्षिक कार्य-योजना में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग की निधियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	उपयोग की गई वाली धनराशि
	i) शिक्षा ii) स्वास्थ्य iii) कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र iv) अवसंरचना क) सड़क ख) पुल/पुलिया ग) भवन घ) उद्योग ङ) पर्यटन च) खेलकूद छ) अन्य v) सामाजिक क्षेत्र क) सामुदायिक केन्द्र ख) सांस्कृतिक केन्द्र ग) व्यावसायिक अध्ययन/प्रशिक्षण घ) ग्रामीण स्वच्छता ङ) पेयजल च) अन्य	

अनुलग्नक -VI

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

को समाप्त तिमाही की बी ए डी पी तिमाही प्रगति (वितीय एवं वास्तविक) रिपोर्ट

राज्य का नाम

क्र.सं.	सेक्टर तथा योजनाओं/ परियोजनाओं का नाम	अवस्थिति			योजना के आरंभ का वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	पूरा करने की तारीख सहित वास्तविक लक्ष्य	अब तक हुआ व्यय (वर्ष वार)	तिमाही के दौरान हुआ व्यय	तिमाही के अंत तक संचयी व्यय	वास्तविक प्रगति		टिप्पणी
		जिला	ब्लॉक	गांव							तिमाही के दौरान (% में)	तिमाही के अंत तक संचयी प्रगति (% में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	क.शिक्षा												
1.	प्राथमिक/स्कूल भवन (अतिरिक्त कक्ष)												
2.	मिडिल स्कूल भवन (अतिरिक्त कक्ष)												
3.	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन (अतिरिक्त कक्ष)												
4.	अध्यापकों तथा सहायक स्टाफ के लिए आवास का निर्माण												
5.	छात्रावासों/शयनशालाओं का निर्माण												
6.	खेल मैदानों का विकास												
7.	सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय कक्ष												

	vi) विविध क) आदर्श गांव ख) मोबाइल डिस्पैंसरी ग) स्टाफ का प्रशिक्षण घ) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित परिसंपतियों का अनुरक्षण ङ) अन्य vii) सुरक्षा बल (सीमा रक्षक बलों तथा अन्य सुरक्षा बलों द्वारा उपर्युक्त क्षेत्रों में चलाई गई योजनाओं को अलग-अलग क्षेत्र-वार दर्शाया गया है।	

22.	जल संरक्षण कार्यक्रम												
23.	सामाजिक वानिकी, जे एम एम, पार्क, चरागाह क्षेत्रों सहित सरकारी एवं सामुदायिक भूमि अथवा अन्य निलंबित भूमि में बगीचे												
24.	उन्नत बीजों, उर्वरक और उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग												
25.	पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रजनन केन्द्र												
26.	पिछले अगड़े एकीकरण के पैमाने पर अर्थव्यवस्था को देखते हुए क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण।												
	घ. अवसंरचना												
27.	अभिगम सड़कों, संपर्क सड़कों (पुलियाओं एवं पुलों सहित) का निर्माण एवं सुदृढीकरण												
28.	उद्योग-हथकरघा, लघु यूनिटें, हस्तशिल्प, फर्नीचर निर्माण, लोहकारी संबंधी कार्य आदि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग												
29.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी वाले मलिन बस्ती क्षेत्रों, पर्यटन केन्द्रों, बस स्टैंड आदि में, बिजली, पानी, पैदल मार्ग, रज्जुमार्ग, पैदल-पार पथ, हैंगिंग सेतु, सार्वजनिक शौचालय आदि जैसी जन सुविधाओं का प्रावधान।												
30.	सीमावर्ती क्षेत्रों में साप्ताहिक												

	ख.स्वास्थ्य												
8.	आधारभूत/प्राथमिक स्तर के चिकित्सा उपकरणों-एकस-रे, ई सी जी मशीनों आदि का प्रावधान।												
9.	डेंटल क्लीनिक के लिए उपकरणों का प्रावधान												
10.	(पी एच सी/सी एच सी) के लिए भवन अवसंरचना												
11.	सरकार/पंचायत राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेली मेडिसिन सहित सचल औषधालयों की स्थापना।												
	ग-कृषि एवं सहायक क्षेत्र												
12.	पशुपालन												
13.	मत्स्यपालन												
14.	रेशमकीट पालन												
15.	मुर्गीपालन/मत्स्यन/सुअर/बकरी/भेडपालन												
16.	कृषि वानिकी, बागवानी/पुष्प-कृषि												
17.	ग्रामों, नगरों और शहरों में तालाबों की गाद निकालना (डेसिलिंग)												
18.	सार्वजनिक जल-निकास सुविधाएं।												
19.	सिंचाई तटबंधों अथवा लिफ्ट सिंचाई अथवा जल-सतह ऊंची करने की सुविधाओं का निर्माण												
20.	लघु सिंचाई कार्य।												
21.	मृदा संरक्षण-अपरदन का संरक्षण-बाढ़ संरक्षण												

	गतिविधियों के लिए नवीन एवं नवीकरणीय विद्युत-जैव-गैस/बॉयोमॉस गैसीकरण, सौर एवं पवन ऊर्जा-प्रणालियां/उपकरण।												
	ङ सामाजिक क्षेत्र												
37.	सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण												
38.	ग्रामीण स्वच्छता खण्ड												
39.	सांस्कृतिक केन्द्र/सामुदायिक हॉल												
40.	वयोवृद्ध अथवा विकलांग व्यक्तियों के लिए सामान्य आश्रयों का निर्माण												
41.	स्व-रोजगार तथा प्रशिक्षुओं और बुनकरों के कौशल-स्तर को ऊंचा करने के लिए युवाओं के लिए व्यावसायिक अध्ययनो और प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम ।												
	विविध												
42.	सीमावर्ती क्षेत्रों में आदर्श ग्रामों का विकास												
43.	ई-चौपाल/कृषि उत्पाद की दुकानों/सचल मीडिया वैन/विपणन स्थल												
44.	संभावित स्थलों पर सामूहिक दृष्टिकोण												
	कुल												

	हाटों/बाजारों के लिए अवसंरचना तथा सांस्कृतिक गतिविधियों आदि का विकास ।												
31.	जिले एवं राज्य की मान्यताप्राप्त खेल एसोसिएशनों के लिए सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों के लिए अथवा अस्पतालों के लिए भवनों का निर्माण (व्यायाम केन्द्रों, खेल एसोसिएशनों, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों आदि में बहु-व्यायामिक सुविधाओं का प्रावधान)												
32.	सुदूरवर्ती सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य-क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण												
33.	पर्यटन/खेल/साहसिक खेलकूद योजना- सीमावर्ती खण्ड में जहां भी संभव हो वहां पर्यटन और खेलकूद जैसे- रॉक क्लाइंबिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, फॉरेस्ट ट्रैकिंग, स्कीईंग तथा सफारी (कार/बाइक रेस, ऊंट सफारी, याक की सवारी, कच्छ के रण में नौकायन) के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं का सृजन।												
34.	नए पर्यटन स्थलों का निर्माण												
35.	लघु खुले स्टेडियम/इंडोर स्टेडियम/प्रेक्षागृहों का निर्माण।												
36.	सामुदायिक उपयोग एवं संबद्ध												

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी)

घ. <u>प्रपत्र जी एफ आर-19-क</u>

(नियम (150) के नीचे भारत सरकार का निर्णय (1) देखें)

ङ. <u>उपयोग प्रमाण पत्र का प्रपत्र</u>

क्र.सं.	पत्र सं. तथा दिनांक	राशि	
1.	(निधि के स्वीकृति संबंधी भारत सरकार के पत्र की तारीख सहित संख्या दें)	(स्वीकृत राशि तथा वह वर्ष जिसके लिए राशि स्वीकृत की गई)	प्रमाणित किया जाता है कि हाशिए पर दिए गए मंत्रालय/विभाग के पत्र संख्या के अंतर्गत ---------- के पक्ष में वर्ष ---------- के दौरान स्वीकृत सहायता अनुदान की ---------- /- रु. की धनराशि और पूर्व वर्ष की बिना खर्च हुई शेष----------/- रु. की धनराशि में से कुल---------- ----------/-रु. की धनराशि ---------- के प्रयोजनार्थ, जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी, उपयोग की जा चुकी है तथा वर्ष के अन्त में शेष बची अनप्रयुक्त ----------/- रु. की धनराशि सरकार को (दिनांक---------- के पत्र सं. ---------- के तहत) अभ्यर्पित कर दी गई है, जो आगामी वर्ष ---------- के दौरान भुगतान की जाने वाली सहायता अनुदान राशि में समायोजित की जाएगी।
	कुल		

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों के तहत सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, उनका विधिवत पालन किया गया है/पालन किया जा रहा है और यह देखने के लिए कि उक्त धनराशि उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है, जिसके लिए यह स्वीकृत की गइ थी, मैंने निम्नलिखित जांचों को प्रयोग किया है:

<u>प्रयोग में लाई गई जांच के प्रकार:</u>

<u>1.</u>

<u>2.</u>

<u>3.</u>

हस्ताक्षर----------

पदनाम ----------

दिनांक----------